अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका
ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 6.789 Volume 10-Issue 1, (January-March 2022

राजस्थान में राज्य स्तरकी राजनीति में महिला सशक्तीकरण (73वें व 74वें संविधान संशोधन के सन्दर्भ में)

सीमा टेलर (बेदी) शोधार्थी –राजनीति विज्ञान एबीकानेर विश्वविद्यालय राजस्थान

सारांश – 73वाँ व 74वाँ संविधान संशोधन राजस्थान की स्थानीय राजनीति में महिला सहभागिता के दृष्टिकोण से मील का पत्थर साबित हुआ है परन्तु राज्य स्तर की राजनीति में महिला सहभागिता में उतने उत्साहजनक प्रभाव नजर नहीं आते। राजस्थान की राज्य स्तर की राजनीति में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के प्रभाव के निष्कर्ष प्राप्ति हेतु इससें पूर्व व पश्चात के समय के विधानसभा तथा लोकसभा चुनावों में महिला सहभागिता का अध्ययन आवश्यक है। राज्य स्तर की राजनीति में महिला सशक्तीकरण पर 73वें व 74वें संविधान संशोधन के प्रभाव को भी अध्ययन में प्रस्तुत किया गया है।

मूल शब्द– राजनीति, महिला सहभागिता, संविधान संशोधन, सशक्तीकरण।

प्रस्तावना – भारत एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है, जहां राजनीति में आधी आबादी (महिला) की सहभागिता निराशाजनक रही है। भारत में भी राजस्थान इस दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी श्रेणी के अन्तर्गतआता है जहाँ महिलाओं की भूमिका केवल घर की चारदीवारी तक सीमित मानी जाती रही है। स्वतन्त्रता के बाद भारतीय संविधान में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए गए परन्तु इसे व्यवहार में लाना एक अत्यन्त दुष्कर कार्य साबित हुआ। इस संदर्भ में प्रथम सफल प्रयास 73वें व 74वें संविधान संशोधन के रूप में किया गया है। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय राजनीति पर व अप्रत्यक्ष प्रभाव राज्य स्तर की राजनीति पर देखा जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य – प्रस्तुत शोध–पत्र में राजस्थान में राज्य स्तर की राजनीति में महिला सशक्तीकरण पर 73वें व 74वें संविधान संशोधन के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण में 73वें व 74वें संविधान संशोधन की भूमिका निर्विवाद रूप से महत्त्वपूर्ण रही है। इन संशोधनों का प्रभाव स्थानीय राजनीति में महिला

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 6.789 Volume 10-Issue 1, (January-March 2022

सहभागिता पर स्पष्टतया परिलक्षित होता है। परन्तु क्या यही प्रभाव राज्य स्तर की राजनीति पर भी भी दिखाई देता है? यह एक विचारणीय मुद्दा है । इस सन्दर्भ में किसी निष्कर्ष पर पहुँचनेसे पहले इन संशोधनों के पूर्व तथा पश्चात की राज्य स्तर की राजनीति में महिला सहभागिता पर एक दृष्टि डालना आवश्यक प्रतीत होता है।

73वें व 74वें संविधान संशोधन से पूर्व राज्य विधानसभा में महिला सहभागिता–सन् 1954 में देश के तत्कालीन प्रधानमन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरु द्वारा राजस्थान विधानसभा अवलोकन के समय 160 सदस्यों में से मात्र एक महिला सदस्य की उपस्थिति से वे अतयन्त हैरान हुए तथा अपनी यह पीड़ा उन्होने तत्कालीन मुख्यमन्त्री के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में जाहिर की। राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव में चार महिला प्रत्याशी शामिल हुई, परन्तु कोई भी निर्वाचित नहीं हुई। 1953 में हुए उपचुनाव में श्रीमती यशोदा देवी विजयी होकर राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी। 1954 के उपचुनाव में श्रीमती कमला बेनीवाल निर्वाचित हुई, जिन्हें राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री (नव. 1954 में उपमंत्री) बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 1957 के चुनाव (दूसरी विधानसभा) में 21 महिला उम्मीदवारों में से 9 महिलाएँ निर्वाचित होकर सदन में पहुँची। 1962 में तीसरे विधानसभा चुनाव में 15 महिला उम्मीदवारों में से 8 विजयी रही। 1967 के विधानसभा चुनाव में 19 महिला प्रत्याशियों में से 6 निर्वाचित हुई तथा उप चुनाव में एक ओर महिला सदस्य निर्वाचित हुई।1972 के विधानसभा चुनाव में 17 महिला प्रत्याशी शामिल हुई जिनमें से 13 महिलाओं ने विजय प्राप्त की वहीं 1977 में सम्पन्न चुनाव में 31 महिला उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया जिसमे 8 महिलाएँ विजयी रही।

सन् 1980 में सातवीं विधानसभा में 31 महिला उम्मीदवारों में से 10 विजयी होकर सदन सदस्य बनी, 1985 में आठवीं विधानसभा के चुनाव में 45 महिलाओं ने भाग लिया जिसमें से 17 महिलाएँ निर्वाचित होकर विधानसभा पहुँची। 1990 में नौंवी विधानसभा के चुनाव में महिला प्रत्याशी 93 थी, परन्तु निर्वाचित महिलाओं की संख्या सिर्फ 11 रही। 1993 के दसवीं विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीदवार 97 व निर्वाचित होने वाली महिलाएँ 10 थी। यदि 1993 से पूर्व कुल प्रत्याशी व महिला प्रत्याशी का अनुपात देखें तो महिला प्रत्याशी 5 प्रतिशत से भी कम रही।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 6.789 Volume 10-Issue 1, (January-March 2022

73वें व 74वें संविधान संशोधन से पूर्व राजस्थान से लोकसभा में महिला सहभागिता–प्रथम लोकसभा चुनाव में राजस्थान से दो महिला उम्मीदवार रही जो अपनी जमानत भी नही बचा पाई। 1957 के दूसरी लोकसभा चुनाव में राज्य से कोई महिला प्रत्याशी नही थी, वहीं तीसरी लोकसभा के चुनाव में 6 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें से एक को विजय प्राप्त हुई। 1967 में सम्पन्न चौथी लोकसभा चुनाव में दो महिला प्रत्याशियों में से एक निर्वाचित हुई। पांचवीं लोकसभा के चुनाव में चार महिला उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया जिसमें से दो सफल रही। वहीं 1977 के लोकसभा चुनाव में किसी महिला प्रत्याशी को अवसर प्राप्त नही हुआ। 1980 में सम्पन्न सातवीं लोकसभा के चुनाव में पाँच महिला उम्मीदवार थी, जिसमें से एक ही विजय प्राप्त कर पाई, तथा 1984 के आठवीं लोकसभा चुनाव के समय छः महिला उम्मीदवारों में से दो को सदन की सदस्यता मिली। नौवीं लोकसभा के चुनाव (1989) में भी छः महिला प्रत्याशी रहीं परन्तु मात्र एक ही विजयी रही। 1991 के दसवीं लोकसभा के चुनाव में चौदह महिला प्रत्याशीरहीं जिसमें से चार को विजय प्राप्त हुई।

73वें व 74वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान विधानसभा में महिला सहभागिता– 73वें व 74वें संविधान संशोधन के बाद 1998 में ग्यारहवीं विधानसभा के चुनाव में 69 महिला प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया जिनमें से 15 महिलाएँ सफल रही। बाहरवीं विधानसभा चुनाव (2003) में महिला उम्मीदवारथी 118 व निर्वाचित हुई 13 वहीं 2008 में सम्पन्न तेहरवीं विधानसभा चुनाव में 154 प्रत्याशी थी उनमें से 29 महिलाएँ निर्वाचित होकर सदन पहुँची। चौदहवीं विधानसभा (2013) चुनाव में महिला 166 महिलाओं ने भागीदारी की व 29 महिलाएँ सदन में पहुँचने में सफल रही। पन्द्रहवीं विधानसभा (2018) चुनाव में 183 महिला प्रत्याशी रहीं जिनमें से 25 महिलाएँ विधायक के रूप में सदन में पहुँची। इस प्रकार 1998 के बाद महिला प्रत्याशियों की संख्या में वृद्धि हुई तथा गत तीन चुनावों में जीतने वाली महिलाओं की संख्या भी पहले की तुलना में अधिक रही परन्तु इसे सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। निष्कर्ष रूप में राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में सकारात्मक परिवर्तन के लिए स्थानीय राजनीति की तरह राज्य स्तर की राजनीति में भी महिला सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 6.789 Volume 10-Issue 1, (January-March 2022

73वें व 74वें संविधान संशोधन के बाद लोकसभा में महिला सहभागिता (राजस्थान से)–73वें व 74वें संविधान संशोधन के बाद ग्यारहवीं लोकसभा (1996) के चुनाव में राजस्थान से 25 महिला प्रत्याशी मैदान में थी, जिनमें से चार विजयी होकर सदन में पहुँची। बारहवीं लोकसभा (1998) के चुनाव में 20 महिला उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया जिनमें से 3 सफल रही। 1999 में सम्पन्न तेहरवीं लोकसभा चुनाव में 15 महिला प्रत्याशियों में से 3 निर्वाचित हुई। चौदहवीं लोकसभा चुनाव (2004) में 17 महिला उम्मीदवारों में से 2 विजयी रही। 2009 में पन्द्रहवीं लोकसभा चुनावों में 31 (सर्वाधिक) महिला प्रत्याशी रही परन्तु मात्र 3 सफल होकर सदन पहुचीं। सोहलवीं लोकसभा चुनाव (2014) में 27 महिला उम्मीदवारों में से केवल एक को विजय प्राप्त हुई। वर्तमान सत्रहवीं लोकसभा (2019) चुनावों में 23 महिलाओं ने निर्वाचन में भाग लिया व 3 विजय रही। इस प्रकार राजस्थान से लोकसभा में महिला सहभागिता पर भी 73वें व 74वें संविधान संशोधन का विशेष प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता केवलमहिला प्रत्याशियों की संख्या में आंशिक वृद्धि हुई वह भी अपेक्षानुरूप नहीं कही जा सकती।

73वें व 74वें संविधान संशोधन का राज्य स्तर की राजनीति में महिला सशक्तीकरण पर प्रभावः–

1. संसद व विधानसभाओं में महिला आरक्षण का आधार तैयार करना– 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को प्रदत आरक्षण के परिणाम स्वरूप स्थानीय राजनीति में हुए महिला सशक्तीकरण ने राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता प्रतिपादित की है। इस संदर्भ में प्रयास भी हुए परन्तु अभी तक आरक्षण विधेयक (केन्द्र व राज्य विधायिका में) पारित नही हो सका। 73वें व 74वें संविधान संशोधन के बाद महिलाएँ स्वयं अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हुई है तथा सक्रियराजनीति में रूचि लेने लगी है।स्थानीय संस्थाओं में काम कार्य करते हुए महिलाओं को राजनीति के सामान्य मुद्दों, नेतृत्व क्षमता, निर्णय प्रक्रिया व राजनीतिक विषयों पर चर्चा आदि का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिससेवे राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित व प्रशिक्षित हो रही है।

2. महिला प्रत्याशियों की संख्या में वृद्धिः– 73वें व 74वें संविधान संशोधन से पूर्व के चुनावों की अपेक्षा बाद के चुनावों में महिला प्रत्याशियों की संख्या में वृद्धि हृई है। संशोधन से पूर्व 1952–1993 में दस विधानसभा चुनावों में महिला प्रत्याशी मात्र 377 थी थी। जिनमें से केवल 95 निर्वाचित हुई, वहीं बाद के चुनावों में 1988 से 2018 तक पाँच विधानसभा चुनावों में कुल महिला प्रत्याशी 696 भी व उनमें से 111 महिलाएँ विजयी होकर विधानसभा पहुँची। इसी तरह राजस्थान से लोकसभा में 1952 से 1991 तक 10 चुनावों में

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 6.789 Volume 10-Issue 1, (January-March 2022

कुल महिला उम्मीदवार 45 थी इनमें से 12 विजयी रही तथाइसके बाद के सात विधानसभा चुनावों (1996–20019) में कुल महिला उम्मीदवार 158 रहीं व निर्वाचित होने वाली महिलाएँ 20 रही। इस प्रकार यह 73वें व 74वें संविधान संशोधन का अप्रत्यक्ष प्रभाव कहा जा सकता है कि महिलाओं में चुनाव में भाग लेने का आत्मविश्वास जागा है। क्योंकि निर्दलीय महिला उम्मीदवारों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

3. महिला मतदान में वृद्धिः– महिला मतदान के दृष्टिकोण से भी 73वें व 74वें संविधान संशोधन का प्रभाव स्पष्टतः नजर आता है। 1962 के विधानसभा चुनाव में पुरूष मतदान 63ः तथा महिला मतदान 41ः रहा यानि 22ः का अन्तर वहीं 2003 में पुरूष 70ः तथा महिला मतदान 64ः रहा अर्थात् अन्तर मात्र 6ः रह गया। 2013 में महिला मतदान 75.57ः व पुरूष मतदान 74.92ः वहीं 2018 में महिला मतदान प्रतिशत 74.66ः व पुरूष मतदान प्रतिशत 73.81ः रहा। इसी प्रकार 1957 के लोकसभा चुनाव में पुरूष मतदान 68.41ः व महिला मतदान 40.74ः रहा अर्थात् 27.66ः का अन्तर । 2019 के लोकसभा चुनाव में (राजस्थान से) पुरूष मतदान 66.54ः व महिला मतदान 65.55ः रहा यानि अन्तर मात्र 0.99ः। इस प्रकार 73वें व 74वें संविधान संशोधन के बाद महिलाएँ मताधिकार के प्रयोग के प्रति जागरूक हुई है।

4. अन्य प्रभावः– 73वें व 74वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं की स्थानीय शासन में बढ़ती भागीदारी ने उनमें आत्मविश्वास जागृत किया है, जिससे वे राज्य स्तर की राजनीति में प्रवेश के लिए स्वयं को सक्षम महसूस करती है। इन संशोधनों से विविध क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण (आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक) के कारण अब तक वंचित वर्ग के रूप में रही महिलाएँ आगे बढ़ने को तैयार है। स्थानीय शासन में भागीदारी ने महिलाओं में विविध राजनीतिक व प्रशासनिक विषयों की समझ विकसित की है। उनमें आत्मनिर्भरता का भाव व शिक्षा के प्रति रूचि भी विकसित हुई है, जो राजनीति में सहभागिता के लिए आवश्यक है।

निष्कर्षतः जो प्रभाव 73वें व 74वें संविधान संशोधन का स्थानीय राजनीति पर नजर आता है वह राज्य स्तर की राजनीति पर दृष्टिगत नही होता है तो कहा जा सकता है कि राज्य स्तर की राजनीति में महिला सहभागिता वृद्धि हेतु आरक्षण एक प्रभावी माध्यम हो सकता है।

सन्दर्भ –

1. पंचायती राज और महिलाएँ – डॉ. विमला आर्य, प्रकाशन 2007 राजस्थानी ग्रन्थागार।
2. पंचायतीराज एवं महिला नेतृत्व विकास – एक विमर्श–डॉ. राजेश कुमार
ब्जण्2018 श्रवनतदंस ंतजपबसम व्चमद ।बबमे

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 6.789 Volume 10-Issue 1, (January-March 2022

3. राजस्थान विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी– समस्याएँ एवं सम्भावनाएँ– वैशाली देवपुरा– श्रृखला–एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका (फरवरी2018)
4. राजस्थान पत्रिका
5. दैनिक भास्कर
6. ˘प्ज्ञाप्च्म्क्ष् ।ण्ब्ब्ड